

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, बालाघाट
(शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधीन निकाय)
तहसील :- बालाघाट, जिला: बालाघाट (म.प्र.),
पोस्ट: भरवेली, (म.प्र.), पिन-481102
दूरभाष संख्या:- 07632-245250
वेबसाइट:- <https://balaghat.kvs.ac.in>
ई-मेल:- balaghat@kvsrojabalpur.in



PM SHRI Kendriya Vidyalaya Balaghat
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)
Tehsil:-Balaghat, Distt-Balaghat (M.P)
Post-Bharweli, Pin-481102
Telephone No:- 07632-245250
Website: <https://balaghat.kvs.ac.in>
E-mail:- balaghat@kvsrojabalpur.in



केवि/बाला/फा. 78 /2024-25/ ५४७

दिनांक :-19.03.2025

पीएम श्री के.वि.बालाघाट में सत्र 2024-25 हेतु कंप्यूटर विभाग के अनुपयोगी सामानों (E-waste) को बट्टे खाते में डालने हेतु निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम :-

2. फर्म का पूर्ण पता दूरभाष एवं पिनकोड के साथ

3. क्या आपका फर्म राज्य सरकार के "E-waste Collection Centre" के रूप में रजिस्टर्ड है ?-- (हाँ/नहीं)

4. अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर, वैधता दिनांक के साथ

5. क्या आपके फर्म के द्वारा विद्यालय के खाता जिसका विवरण निम्नानुसार है :

खाताधारक का नाम :KENDRIYA VIDYALAYA BALAGHAT VVN, खाता संख्या : 594402050000003,
आई. एफ.एस.सी.कोड:UBIN0559440 में निविदा राशि रु. 500/- (रु.पांच सौ) में राशि डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से जमा कर दी गई है (हाँ /नहीं)

6. यदि हाँ तो उसका विवरण प्रदाय करे

डिमांड ड्राफ्ट क्र./ट्रांजक्शन नंबर इत्यादि

दिनांक जब उपरोक्त राशि रु. 500/- जमा की गई है

7. क्या आपने अपने फर्म की राज्य सरकार के "E-waste Collection Centre" की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की है (हाँ/नहीं)

8. फर्म/फर्म के संचालक का PAN कार्ड क्र.

9. क्या आपने अपने फर्म/फर्म के संचालक का PAN कार्ड की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न की है (हाँ/नहीं)

10. क्या आपने विद्यालय द्वारा जारी निविदा/नीलामी सूचना को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ?(हाँ/नहीं)

11. आपके फर्म के द्वारा पीएम श्री के.वि.बालाघाट में सत्र 2024-25 हेतु कंप्यूटर विभाग के अनुपयोगी सामानों (E-waste) को बट्टे खाते में डालने हेतु अधिकतम कितनी बोली लगाई गई है :

स.क्र.	मद	विद्यालय विकास निधि की अनुपयोगी राशि	विद्यालय निधि की अनुपयोगी राशि
01.	कंप्यूटर डिपार्टमेंट	1,73,821/-	17,86,785/-

(अ) विद्यालय विकास निधि के अनुपयोगी सामानों हेतु अधिकतम बोली की राशि (रु. 1,73,821/- का कम से कम 5 % या उससे अधिक होनी चाहिए)

(ब) विद्यालय निधि के अनुपयोगी सामानों हेतु अधिकतम बोली की राशि (17,86,785/-का कम से कम 5 % या उससे अधिक होनी चाहिए)

अधिकतम बोली की राशि का महायोग (अ+ब)

12. मेरे फर्म/फर्म संचालक

के द्वारा प्रदाय की गई उपरोक्त जानकारी सही सही भरी गई है, यदि कोई जानकारी भविष्य में असत्य/मिथ्या पाई जाती है तो विद्यालय समिति एवं प्राचार्य के द्वारा जो भी न्ययोचित निर्णय/कार्यवाही की जाती है वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

फर्म/फर्म संचालक का नाम :

फर्म/फर्म संचालक का हस्ताक्षर दिनांक के साथ :